रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 1985 (भाद्रपद 9, 1907)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 1985 (BHADRA 9, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 18 मई 1985

सं० ए० डी० एम०/38910—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ़ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री डी० के० राव ने 17 मई 1985 से मुख्य अधिकारी (प्रबंधन सूचना प्रणाली) का कार्यभार सभाल लिया है ।

दिनांक 13 जुलाई 1985

सं० ए० डी० एम०/38910—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ़ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री सी० एल० अग्रवाल, अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी 5, ने दिनांक 13 जुलाई, 1985 को, कारोबार की समाप्ति पर, मुख्य अधिकारी (भविष्य निधि) का कार्यभार संभाल लिया है ।

सी० आर० विजयराघवन
मुख्य महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं सेवाएं)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

बम्बई, दिनांक 9 अगस्त 1985

सं० II सी० डी०/823/आई० एफ० सी०-6—औद्योगिक वित्त निगम नियम, 1965 के नियम 4 के अनुसरण में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (विकास बैंक) एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (निगम) ने, विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से, जापानी येन उधार से विदेशी मुद्रा ऋणों के अधीन मंजूर किए गए/किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर 10.00 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की है । नई दर पहली अप्रैल, 1985 को या इसके बाद जापानी येन में मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों अथवा पहली अप्रैल, 1985 को या इसके बाद निष्पादित किए गए ऋण करारों पर भी लागू होगी ।

फ़िलिप थॉमस
कार्यपालक निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

मद्रास-600034, दिनांक 18 जून 1985

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (5)/2/85-86—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4-एस० सी० ए० (1)/8/81-82 दिनांक 17 मार्च, 1982, 3-डब्ल्यू० सी० ए० (4)/8/83-84 दिनांक 31 मार्च, 1984 और 3-एस० सी० ए० (4)/10/83-84 दिनांक 31 मार्च, 1984, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	14436	श्री एन० अनन्था कृष्णन, ए० सी० ए०, नं० 21, 1 मैन स्ट्रीट, शिनोय नगर, मद्रास-600030 ।	29-3-85
2.	16458	श्री बी० विश्वानाथन, ए० सी० ए०, अरूण विल्ला, 38, 11 क्रोस, इंदिरा नगर, 1 स्टेज, बंगलौर-560038 ।	29-10-84
3.	21878	श्री सी० पी० ससी कुमार, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, "श्रीनिवास", टी० सी० 24/250, थीकौड, त्रिवेन्द्रम-695014 ।	1-4-85

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1985

सं० यू० 16/53/84-चिकित्सा-3 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-83 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० रजनीकान्त ठाकुरदास मरफतिया, गायत्री अपार्टमेंट, 10/411, गांधी चौक, सूरत-395003 को गुजरात राज्य के सूरत क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए, अथवा पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशों के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, वर्तमान शर्तों पर रु० 750/- प्रतिमास के पारिश्रमिक पर, चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

डा० वेद प्रकाश
चिकित्सा आयुक्त

क्षेत्रीय कार्यालय, उडीसा

भुवनेश्वर-751007, दिनांक 10 जून 1985

विषय : स्थानीय समिति के पुनर्गठन

सं० 44-V-34/11/1/82-को-आर्डीनेशन—यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-ए के अन्तर्गत उडीसा राज्य झारसुगुड स्थानीय समिति का पुनर्गठन निम्न सदस्यों सहित अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिन से किया जाता है :—

1. विनियम 10-ए, (1) (ए) के अन्तर्गत सह श्रम आयुक्त, सम्बलपुर ।	सभापति
2. विनियम 10-ए (1) (बी) के अन्तर्गत सह श्रम अधिकारी, सम्बलपुर ।	सदस्य
3. विनियम 10-ए (1) (सी) के अन्तर्गत बीमा चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज बीमा चिकित्सालय, झारसुगुडा ।	सदस्य
4. विनियम 10-ए (1) (डी) के अन्तर्गत सेवा योजकों के प्रतिनिधि :	
(क) श्री धनराज सेठी, जेनेरल मैनेजर, उत्कल सोप प्रोडक्स लिमिटेड	सदस्य
(ख) श्री पी० के० मोदी	सदस्य
(ग) श्री पी० लक्ष्मी नारायनन	सदस्य
5. विनियम 10-ए (1) (इ) के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रतिनिधि :	
(क) श्री डी० आर० बी० पटनयक	सदस्य
(ख) श्री के० मुरली	सदस्य
(ग) श्री नन्द जी सर्मा	सदस्य
6. विनियम 10-ए (1) (एफ) के अन्तर्गत व्यवस्थापक स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारसुगुडा ।	सदस्य और सम्पादक

के० बी० राजप्पन नयार
क्षेत्र निदेशक

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1985

रिपोर्ट

सं० 3-1185-चीनी (डी० एफ०)-1—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का) 4 की धारा 7 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 1984-85, जो 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुआ, के लिए रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

2. चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982, जो 1 जून, 1982 को प्रवृत्त हुआ, में एक निधि स्थापित करने और संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए समयक् विनियोग के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित वसूली का खर्च घटा कर, चीनी उपकर अधिनियम, 1982 (1982 का 3) के अधीन उद्गृहीत और वसूल किए गए उत्पाद-शुल्क के आगम के समतुल्य रकम उसमें जमा करने के लिए उपबन्ध है। वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान निधि में 95 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई, जिससे निधि में जमा कुल रकम 202.9945 करोड़ रु० हो गई। इसमें से वर्ष के दौरान कुल व्यय 36.5515 रु० (36.5202 रुपये चीनी के बफर स्टाक रखने के लिए चीनी के मिलों को सहायिकी के संदाय के लिए और 0.0313 करोड़ रुपये चीनी विकास निधि से सम्बन्धित कार्य पर स्थापना सम्बन्धी खर्च के लिए) उपगत किया गया, इसके परिणामस्वरूप 1984-85 की समाप्ति पर निधि में जमा अतिशेष 166.4430 करोड़ रु० है। निधि से, चीनी के मिलों के पुनरुद्धार या आधुनिकीकरण, कारखाना क्षेत्रों में गन्ने के विकास, चीनी उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से अनुसंधान परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए कोई भी व्यय, कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों और ऋण तथा अनुदान सम्बन्धी आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया का विस्तार करने के कारण उपगत नहीं किया जा सका।

3. वर्ष 1984-85 के लिए लेखाओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

चीनी विकास निधि

आदि अतिशेष	1984-85 के दौरान जमा की गई रकम	योग	1984-85 के दौरान उपगत व्यय	31-3-1985 को अतिशेष
1	2	3	4	5
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
107,99,44,646	95,00,00,000	202,99,44,646	(i) बफर स्टाक रखने पर सहायिकी 36,52,01,865 (ii) स्थापना सम्बन्धी खर्च 3,12,960	166,44,29,821
			योग 36,55,14,825	

गुरदेव सिंह
उप सचिव, भारत सरकार

सालारजंग संग्रहालय के भर्ती नियम

हैदराबाद, दिनांक 13 अगस्त 1985

सं० II-8/85-153—सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 (1961 का 26), उप-धारा (1) को पढ़े खण्ड (ब) की उप-धारा (2) का अनुभाग 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सालारजंग संग्रहालय मण्डल, हैदराबाद, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से, सालारजंग संग्रहालय विनियम, 1962 के आधार पर आगे और भी संशोधन करते हैं, जैसे :—

1. (1) ये विनियम सालारजंग संग्रहालय (संशोधन) विनियम, 1985 कहलाएंगे।

(2) ये कार्यालयीन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अमल में आएंगे।

2. सालारजंग संग्रहालय विनियम, 1962 में :—

(1) विनियम 7 के स्थान पर निम्न विनियम प्रतिस्थापित किए जाएं :—

"7". पदों का निर्माण—संग्रहालय रख-रखाव आदि के लिए मण्डल आवश्यकतानुसार ऐसे पदों का निर्माण कर सकता है एवं उनके वेतनमान एवं भत्तों में बदल या निश्चय कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसे पदों के व्यय के लिए रखे प्रावधान स्वरूप बजट को मंडल द्वारा तैयार किए जाने के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किए गए हों । व केन्द्र सरकार की ओर से आवश्यक निर्देशादि समय-समय पर दिए गए हों भी, आवश्यक हो ।

(2) विनियम 8, उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, जैसे :—

"(5) (1) संग्रहालय में डाक्टरी/शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र देने पर व सम्बन्धित व्यक्ति के चरित्र सम्बन्धी पूछ ताछ करने पर ही पदों के लिए चयन किया जाए । पहली श्रेणी (वरिष्ठ) अधिकारियों एवं पहली श्रेणी (कनिष्ठ) शारीरिक सक्षमता चिकित्सा प्रमाण-पत्र, चिकित्सा मण्डल एवं दूसरी एवं तीसरी श्रेणी के पदों के लिए सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्सा अधिकारियों के हस्ताक्षर के हो ।

(2) महिला प्रत्याशी नियुक्ति के मामले में :—

(अ) पहली श्रेणी के पद के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र चिकित्सा मण्डल द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसमें एक सदस्य महिला चिकित्सा प्रैक्टीस करने वाली हो

(ब) द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र ऐसे पंजीकृत महिला प्राक्टीशनर द्वारा दिया गया हो जिसकी योग्यता का उल्लेख भारतीय चिकित्सा परिषद कानून, 1956 (1956 का 102) में उल्लेख हो ।

(3) चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नियुक्त कार्यकर्ताओं के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र अधिकृत चिकित्सा परिचर से लिया जाए जिसके पास ऐसी चिकित्सा योग्यता हो जिसको भारतीय चिकित्सा परिषद कानून, 1956 (1956 का 102) में सम्मिलित किया गया हो और यदि ऐसे चिकित्सा परिचर अधिकारी न हो तो समीपस्थ अस्पताल के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से आवश्यक योग्यता रखनेवाले के पास से ऐसा प्रमाण-पत्र लिया जा सकता है।

(3) विनियम 9 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए :—

9. "अनुसूचित एवं जनजाति आदि के लिए छूट : "इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से समय-समय पर आरक्षण/आयु सीमा में छूट एवं अन्य सुविधाएं जो अनुसूचित एवं जन-जातियों एव अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियमों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े ।"

(4) विनियम 11 के लिए निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, जैसे :—

कार्यकर्ताओं को मानदेय, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन :

पहली श्रेणी एंव दूसरी श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मण्डल एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्यकर्ताओं के लिए वित्त समिति स्वीकृति दे सकती है :—

(अ) विशेष स्वरूप के कार्यों, या वर्तमान कार्य से अधिक कार्य के जोड़ने या विशेष उत्तरदायित्व के लिए विशेष वेतन देना ।

(ब) अस्थायी पदों को छोड़ स्थायी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के हित में मूल वेतन में पुनरावृत्ति के कारण मूल वेतन की अनुशासनात्मक आय (या विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत विचारण के आधार पर) ।

(स) प्रासंगिक तौर पर या पारी से किए गए कार्यों के लिए या कड़ी परिश्रम के कार्यों के लिए या इसी प्रकार के विशेष गुणानुक्रम जो कि विशेष पुरस्कार के लिए न्योचित हो का पारिश्रमिक, मानदेय (इस प्राविधान से छोड़ कर, विशेष कारण होने पर जो लिखित रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए जब तक कार्य पूरा नहीं होता या मंडल की पूर्वानुमति हो और यह रकम अग्रिम रूप में तय की गई है) और

(द) किसी व्यक्ति, संस्था या जन संस्था के लिए मंडल अपने कर्मचारी को विशेषिकृत सेवा या सेवाओं के क्रम के लिए अनुमति दे सकता है बशर्ते कि उससे कार्यालयीन सेवा या उत्तरदायित्व पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े और इस प्रकार की जिम्मेदारी के लिए पारिश्रमिक लेने का (आवर्तक या अनावर्तक शुल्क) अधिकार है या निर्देश देने पर वह पारिश्रमिक या उसका अंश संग्रहालय राशि में जमा करें ।

प्रयोजन के लिए मानदेय या शुल्क; या ऐसे वेतन की स्वीकृति के लिए यदि धन की आवश्यकता हो तो केन्द्र सरकार से इसके लिए पूर्वानुमति लेना आवश्यक है ।

(5) विनियम 13 में पहले प्रावधान में निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, जैसे :—

"यदि मंडल के विचार में कार्यकर्ता विशेष रूप से योग्य हो एवं यह संग्रहालय की रुचि में उसकी सेवाकाल में लिखित कारणों के आधार पर कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक हो तो एक-एक वर्ष के हिसाब से कुल दो वर्षों तक सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है । इसके लिए मंडल को केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है ।

(6) विनियम 17, उप-विनियम (1) में निम्न प्रतिस्थापित किया जाए :—

"यदि मण्डल आवश्यक समझे तो किसी भी श्रेणी या श्रेणी के कार्यकर्ता के लिए इन विनियमों में आवश्यक छूट दे सकता है । बशर्ते कि कारण लिखित उपलब्ध हो ।"

(7) विनियम 17 के बाद निम्न नए विनियम जोड़े जाएं :—

"17 ए. विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध :

(1) कोई भी कार्यकर्ता ऐसे विवाह सम्बन्ध नहीं जोड़ सकते जो पहले से ही विवाहित पति या पत्नी रखते हों ।

(2) यदि ऐसे विवाह सम्बन्ध जोड़ने ही हैं तो—

खण्ड (1) या (2) में उल्लिखित, नियमों के समाधान पर मण्डल यदि उचित समझे तो कार्यकर्ता को विवाह के लिए अनुमति प्रदत्त कर सकता है ।

(अ) ऐसे विवाह वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत ऐसे कार्यकर्ता या अन्य पार्टी के लिए लागू होता हो एवं

(ब) ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हो ।

(8) विनियम संख्या 25, उप-नियम (1), खण्ड (ख) में निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, जैसे :—

(ब) मण्डल के कार्याध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह संग्रहालय के कार्यकर्ता को प्रशिक्षण पाने हेतु या अध्ययन हेतु भारत में या केन्द्र सरकार को अनुमोदन से भारत के बाहर भेज सकता है बशर्ते कि :—

(अ) प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम कार्यकर्ता को संग्रहालय की सेवा अधिक सक्षम एवं वैज्ञानिक रूप से करने में सहायक हो;

(ब) कार्यकर्ता प्रशिक्षण या अध्ययन के बाद तीन वर्ष के पहले सेवा-निवृत्त न होता हो;

(स) कार्यकर्ता को एक बन्ध पत्र लिख देना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक प्रशिक्षण या अध्ययन से लौट आने के बाद संग्रहालय की सेवा करेगा; और

(द) इस प्रकार की प्रशिक्षण सुविधा भारत में उपलब्ध न हो ।

(9) विनियम 32 के बाद निम्न जोड़ा जाए, जैसे:—

चिकित्सा प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/कुमारी/श्रीमती ..... सालारजंग संग्रहालय में सेवा के लिए प्रत्याशी की जांच की है और यह पाया गया कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....में किसी प्रकार की बीमारी (फैलने योग्य या अन्य) या शारीरिक संविधानिक अशक्तता या शारीरिक व्याधी को छोड़कर .....मैं समझता हूं कि सालारजंग संग्रहालय में सेवा पाने हेतु इसे अयोग्य न माना जाए ।

हस्ताक्षर
पदनाम के साथ कार्यालय की मुहर

दिनांक :

सालारजंग संग्रहालय नियम 1962, भारत के राजपत्र, भाग-3, अनुभाग 4 के अन्तर्गत सरकारी अधिसूचना (कुछ नहीं) दिनांक 29-9-1962 पृष्ठ संख्या 536 से 539 पर प्रकाशित हुआ । तदुपरान्त संशोधन के साथ निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा भारत के राजपत्र भाग-3, अनुभाग-4 में प्रकाशित हुए ।

1. दिनांक 13-11-1965
2. दिनांक 4-12-1965
3. दिनांक 16-7-1966
4. दिनांक 28-10-1967
5. दिनांक 6-4-1968
6. दिनांक 6-7-1968
7. दिनांक 22-2-1969
8. दिनांक 13-4-1974
9. दिनांक 1-5-1976
10. दिनांक 30-10-1976
11. दिनांक 20-8-1977
12. दिनांक 24-9-1977
13. दिनांक 22-4-1978
14. दिनांक 14-6-1980
15. दिनांक 28-3-1981
16. दिनांक 7-8-1982

पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन या गैर-चयन पद	आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं अपेक्षित	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	भर्ती की विधि	जहां से पदोन्नति की जाती है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य पुस्तक जिल्दसाज	लिपिक वर्गीय श्रेणी-III	रु० 260-6-290-ई० बी०-6-326-8-390-10-400	गैर-चयन	लागू नहीं	तकनीशियन को पुस्तक जिल्दसाज में प्रशिक्षित होना चाहिए । या ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुस्तक जिल्दसाज का प्रायोगिक अनुभव हो, विशेषकर पुरानी पांडु लिपि, एक संबद्ध संस्थान या संगठन में कम से कम 7 वर्ष का पुस्तक बैंडर का अनुभव हो ।	हां	100 प्रतिशत पदोन्नति	पुस्तक जिल्दसाज से	
सुरक्षा सहायक	श्रेणी-III गैर लिपिक वर्गीय	रु० 330-10-380-ई० बी०-12-500-ई० बी०-15-560	चयन	45 वर्ष	—	पदोन्नति के लिए नायक के हैसियत से 5 वर्ष की सेवा या अन्य कोई कर्मचारी जिसका स्तर नायक से कम न हो और जो होमगार्ड में प्रशिक्षण पाया हो जिसका स्तर सहायक निरीक्षक (सब इन्स्पेक्टर, पुलिस) पुलिस के समान हो ।	पदोन्नति	नायक या अन्य कोई कर्मचारी	

ह०/- अपठनीय
सचिव
सालारजंग संग्रहालय मंडल

शंकर दयाल शर्मा
अध्यक्ष
सालारजंग संग्रहालय मंडल

अदावाकृत माल का निपटान—इण्डियन एयरलाइन्स अदावाकृत वस्तु विनियम, 1977 के खण्ड 4 में संशोधन ।

दिनांक 26 अगस्त 1985

सं०—एच० क्यू०-एल० जी० एल०/117/85—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45 (2) (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन एयरलाइन्स एतद्द्वारा भारत राजपत्र सं० (10) भाग III खण्ड 4 दिनांक, शनिवार, मार्च 5, 1977 में यथा प्रकाशित इण्डियन एयरलाइन्स अदावाकृत निपटान विनियम, 1977 की वर्तमान खण्ड 4 में आगे संशोधन करने के लिए निम्न विनियम बनाती है :—

(अ) यह भारत राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रवृत्त होगा ।

(ब) वर्तमान खण्ड 4 हटाया जाता है; और

(स) एवज में, संशोधित खण्ड 4 निम्न रूप में रखा जाता है—

खण्ड 4—अदावाकृत माल निपटान विधि :—

(क) विनियम 5 में निर्दिष्ट समय सीमा के समाप्त होने पर निगम के संरक्षण में रखी किसी भी प्रकार की अदावाकृत वस्तुओं को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दिया जाएगा । धुलाई, भण्डारण, अन्य प्रभार एवं बिक्री पर हुए खर्चों के लिए निगम को देय राशि

को बिक्री द्वारा प्राप्त धन से काट लेने के उपरान्त निगम, उस माल के मालिक को या उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित दावा पेश किए जाने पर उसे विक्रय आय में से बची शेष राशि का, यदि कोई है, भुगतान करेगी ।

बशर्ते कि—

(च) निगम को मालिक अथवा उसके कानूनी प्रतिनिधि से इस प्रकार की बिक्री, ढुलाई एवं भण्डारण से संबंधित प्रभारों की शेष बकाया राशि या अन्य प्रभार को वसूल करने का अधिकार हो ;

(छ) विनाशवान, खतरनाक अथवा बदबूदार हो उठने वाला माल तुरन्त बेचा या नष्ट किया जा सकता है । मालिक को सूचना दिए बगैर इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुनिश्चित तरीका ही काम में लाया जाएगा ।

(ज) परेषण जिन्हें दस्तावेज/प्रकाशित सामग्री, विज्ञापन सामग्री, वाणिज्य/व्यापार संबंधित नमूने के रूप में घोषित किया गया है तथा जिन पर भेजने वाले ने उसके किसी मूल्य की घोषणा नहीं की है अथवा/अन्यथा जिनकी कोई भी पुनः बिक्री कीमत नहीं अथवा फिर बहुत ही कम पुनः बिक्री मूल्य वाले हैं उन्हें, समग्र अथवा आंशिक रूप में, निगम के सुविधानुसार बिना सार्वजनिक नीलाम के निपटा दिया जाय ।

(झ) जैसा कि उपर्युक्त विनियम 4 (क) की शर्तों (छ) व (ज) घोषित एवं वर्णित है, निगम द्वारा बेचे जाने वाले परेषण अथवा उसके भाग का मूल्य अन्तिम होगा और वस्तुओं के मालिक, उसके कानूनी प्रतिनिधि अथवा उसके तहत दावा करने वाली किसी भी पार्टी के सत्यापन, छानबीन, समीक्षा अथवा सवाल के अधीन नहीं होगा ।

बशर्ते कि

विनियम 4 (क) की शर्तों (छ) व (ज) के अन्तर्गत परेषणों के रूप में अथवा परेषणों के ऐसे निपटान के परिणामस्वरूप निगम द्वारा वसूल और प्राप्त होने वाली राशि निगम द्वारा उठाए गए खर्चों के प्रति विनियम के खण्ड 4(क) व उसमें दी गई शर्त (च) में रेखांकित तरीके से समायोजित होगी ।

दया नारायण
सचिव

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 18th May 1985

No. ADM|38910.—The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri D. K. Rao, has assumed charge as Chief Officer (Management Information Systems), as from May 17, 1985.

The 13th July 1985

No. ADM|38910.—The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri C. L. Agarwal, Officer, Senior Management Grade Scale V, has taken over as Chief Officer (Provident Fund), as at the close of business on July 13, 1985.

(Sd.) ILLEGIBLE
Chief General Manager
(Personnel and HRD)

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Bombay, the 9th August 1985

No. IICD|323|IFC.6.—In pursuance of Rule 4 of the Industrial Finance Corporation Rules, 1965, the Industrial Development Bank of India (Development Bank) hereby notifies that the Industrial Finance Corporation of India (Corporation) has with the prior approval of the Development Bank fixed the rate of interest to be charged on Foreign Currency Loans sanctioned|to be sanctioned by the Corporation out of borrowings in Japanese Yen @ 10.00% p.a. The new rate will be applicable to foreign currency loans in Japanese Yen sanctioned on or after 1st April, 1985 as also to loans for which the Loan Agreements are executed on or after 1st April, 1985.

PHILIP THOMAS
Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600 034, the 18th June 1985

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(5)/2/85-86.—With reference to this Institute's Notification Nos. 4SCA(1)/8/81-82 dated 17th March 1982, 3WCA(4)/8/83-84 dated 31st March 1984 and 3SCA(4)/10/83-84 dated 31st March 1984, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following :—

S. No.	M.No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	14436	Shri N. Anantha Krishnan, ACA No. 21, 1st Main Street Shenoy Nagar Madras-600 030.	29-03-1985
2.	16458	Shri V. Vishwanathan, ACA Arun Villa 38 11th Cross Indra Nagar, 1st Stage Bangalore-560 038.	29-10-1984
3.	21878	Shri C.P. Sasi Kumar, ACA Chartered Accountant "Sreenivas" T.C.24/250, Thycaud, Trivandrum-695 014.	01-04-1985

R. L. CHOPRA
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 2nd August 1985

No. U|16|53|84|Med.III(Guj.).—In pursuance of the Resolution pasesd at its meeting held on 25th April, conferring

upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. Rajnikant Thakardas Marfatia, Gayatri Apartment, 10|411, Gandhi Chowk, Surat-395003, to function as medical authority for Surat centre in Gujarat with effect from the date of assumption of charge by him, for a period of one year, or till a Full Time Medical Referee joins, whichever is earlier, on the existing terms and conditions, at the rate of Rs. 750|- per month consolidated, for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Dr. VED PRAKASH
Medical Commissioner

REGIONAL OFFICE : "ESIC" BHAWAN : JANPATH

UNIT-IX, BHUBANESWAR-7

Sub : *Re-constitution of Local Committee.*

No. 44-V-34|11|1|82-Co.ordn. dated the 10th June, 1985, it is hereby notified that the Local Committee, Jharsuguda has been re-constituted in the State of Orissa, Consisting of the following Members Under Regulation 10-A of E.S.I. (General) Regulation 1950 with effect from the date of the issue of the Notification—

Chairman

1. *Under Regulation* 10-*A*(*i*)(*a*)
Assistant Labour Commissioner, Sambalpur

Members

2. *Under Regulation* 10-*A*(*i*)(*b*)
Assistant Labour Officer, Jharsuguda

3. *Under Regulation* 10-*A*(*i*)(*c*)
Insurance Medical Officer-in-Charge,
ESI Dispensary, Jharsuguda.

4. *Regulation* 10-*A*(*i*)(*d*)
Employers' Representatives

(a) Shri Dhanraj Sethi,
General Manager,
M|s. Utkal Soap Products Ltd.

(b) Shri P. K. Modi,
Works Secretary,
M|s. Orissa Ceramic Industries Ltd., Jharsuguda.

(v) Shri P. Laxminarayan,
Tech. Director,
M|s. Orissa Concrete Products (P) Ltd. Jharsuguda

5. *Regulation* 10-*A*(*i*)(*e*)
Employees' Representatives :—

(i) Shri D. R. B. Patnaik,
Vice-President,
of Orissa Ceramic Workers Union

(ii) Shri K. Murali,
Workmen,
M|s. Orissa Concrete Products

(iii) Shri Nandjee Sharma,
Crutchman,
M|s. Utkal Soap Products Ltd., Jharsuguda.

Member & Ex-officio Secretary

6. *Regulation* 10-*A*(*i*)(*f*)
Manager,
Local Office, E.S.I. Corporation,
Jharsuguda.

K. V. R. NAIR
Regional Director

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES
(DEPARTMENT OF FOOD)

New Delhi, the 19th August 1985

REPORT

No. 3-1|85-Sugar(DF)-I.—In pursuance of section 7 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby publishes the report for financial year 1984-85, which ended on the 31st March, 1985.

2. The Sugar Development Fund Act, 1982, which came into force on the 1st June, 1982, provides for setting up of a Fund and crediting thereto amounts equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Sugar Cess Act, 1982 (3 of 1982), reduced by the cost of collection as determined by the Central Government, after due appropriation made by Parliament by law. A sum of Rs. 95 crores was credited to the Fund during the financial year 1984-85, raising the total amount standing to the credit of the Fund to Rs. 202.9945 crores. Out of this, a total expenditure of Rs. 36.5515 crores (Rs. 36.5202 crores towards payment of subsidy and Rs. 0.0313 crores towards establishment cost on the work relating to Sugar Development Fund) was incurred during the year, thereby having a balance of Rs. 166.4430 crores to the credit of the Fund at the close of 1984-85. No expenditure could be incurred from the Fund to finance rehabilitation or modernisation of sugar mills, cane development in factory areas, research projects aimed at development of sugar industry due to some administrative difficulties and detailing the procedure for disposal of applications for loans and grants.

3. A statement of Accounts for the year 1984-85 is given below :—

SUGAR DEVELOPMENT FUND

Opening Balance	Amount credited during 1984-85	Total	Expenditure incurred during 1984-85	Balance as on 31-3-1985
1	2	3	4	5
Rs. 107,99,44,646	Rs. 95,00,00,000	Rs. 202,99,44,646	(i) Subsidy on Buffer Stock holdings : Rs. 36,52,01,865 (ii) Establishment expenses : Rs. 3,12,960	Rs. 166,44,29,821
		Total	Rs. 36,55,14,825	

GURDEV SINGH,
Dy. Secy.

SALAR JUNG MUSEUM BOARD

Hyderabad, the 13th August 1985

No. II-8|85-153.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 28 of the Salar Jung Museum Act, 1961 (26 of 1961), the Salar Jung Museum Board, Hyderabad, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Salar Jung Museum Regulations, 1962 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Salar Jung Museum (Amendment) regulations, 1985

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Salar Jung Museum Regulations 1962—

(i) For regulation 7, the following new regulation shall be substituted, namely :—

"7. *Creation of posts* :—The Board may create such posts as may be necessary for the care or maintenance of the Museum and may fix and alter scales of pay and allowances for such posts :

Provided that the necessary provision for the expenditure on such posts has been made in the budget as prepared by the Board and approved by the Government of India, and instructions that may be issued by the Central Government, from time to time, in this behalf are also observed".

(ii) In regulation 8, for sub regulation (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) (i) Recruitment to a post in the museum shall be made, subject to the production of a medical certificate of physical fitness and subject to verification of the character and antecedents of the persons concerned. The medical certificate of physical fitness shall be signed by a Medical Board in the case of officers of Class I (Senior) and Class I (Junior) Posts and by a Civil Surgeon or a District Medical Officer or a Medical Officer of an equivalent status in the case of Class II and Class III Posts;

(ii) In the case of a female candidate appointed to :—

(a) A class I Post, the medical certificate shall be signed by a Medical Board where one of the member is a female medical practitioner;

(b) a Class II or Class III Post, the medical certificate shall be signed by a Registered Female Medical Practitioner possessing medical qualification included in one of the schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

(iii) in the case of employees appointed to Class IV posts, the medical certificate shall be signed by the Authorised Medical Attendant possessing a medical qualification included in one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and when there is no such Medical Attendant by a Government Medical Officer of the nearest Dispensary or Hospital possessing such a qualification.

(iii) for regulation 9, the following shall be substituted, namely :—

9. "*Relaxation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, etc.*

Nothing in these rules shall affect reservations| relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes|Scheduled Tribes and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this behalf".

(iv) for regulation 11, the following shall be substituted, namely :—

"11. *Honorarium, Special Pay, Personal Pay to employees.*

The Board may sanction to any class I or Class II employee and the Finance Committee to any Class III or Class IV employee —

(a) Special pay in consideration of the specially arduous nature of duties or a specific addition to the work or responsibility;

(b) Personal pay to save an employee from loss of substantive pay in respect of a permanent post other than a tenure post due to revision of pay or to any reduction of such substantive pay otherwise than as a disciplinary measure (or in exceptional circumstances on other personal consideration);

(c) An honorarium as remuneration for work performed which is occasional or intermittent in character and either so laborious or of such special merit as to justify a special reward. (Except when special reasons which should be recorded in writing, exist for a departure from this provision, sanction to the grant of acceptance of an honorarium should not be given unless the work has been undertaken with the prior consent of the Board and its amount has been settled in advance); and

(d) The Board may also permit an employee of museum to perform a specified service or series of services for a private person, body or for a public body provided that this can be done without detriment to his official duties and responsibilities and to accept as remuneration therefor a recurring or non-recurring fee, a part of which, if so specified by the Board should be credited to the Museum funds :

Provided that if any funds are required for the purpose from the Central Government, prior approval of that Government shall be necessary for the sanction of such pay, honorarium or fee".

(v) In regulation 13 for the first proviso the following shall be substituted, namely :—

"Provided that where the Board is of the opinion that the employee is specially qualified and it is in the interest of the museum to extend his services it may, for reasons to be recorded in writing, extend the services of such employee, by one year at a time for total period of two years. Where it appears necessary so to do, in the interest of the museum the Board may, with the previous approval of the Central Government, extend the services of an employee for such further period as it may deem necessary beyond the period of two years".

(vi) In regulation 17 for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely :—

"(1) Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by orders and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of employees".

(vii) after regulation 17, the following new regulations shall be inserted, namely :—

"17A. *Restrictions regarding marriage*

(i) No employee shall, enter into, or contract, a marriage with a person having a spouse living, and

(ii) having a spouse living, enter into, or contract, a marriage with any person

Provided that the Board may permit an employee to enter into or contract, any such marriage as is referred to in clause (i) or (ii), if it is satisfied that,

(a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage, and

(b) there are other grounds for so doing".

(viii) in regulation 25, in sub-regulation (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely :—

"(b) the Chairman of the Board shall have the power to send employees of the Museum for training or for a course of instruction in India or with the approval of the Central Government, outside India :

Provided that—

(a) the training or course of instruction would equip the employee to discharge his duties in the Museum in a more scientific and efficient manner;

(b) the employee is not to retire within a period of three years after his return from the training or course of instruction;

(c) the employee furnishes a bond to serve the museum at least for a period of three years on the return from the training or course of instruction; and

(d) the training facilities of the type are not available in India".

(ix) after regulation 32, the following shall be added, namely —

MEDICAL CERTIFICATE

I hereby certify that I have examined Shri|Kumari|Smt. ———— ———— a candidate for employment in the Salar Jung Museum, and cannot discover that Shri|Kumari|Smt. ———— has any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily informity except ———— I do not consider this a disqualification for employment in the office of the Salar Jung Museum.

Signature
Designation with office Stamp

Dated :

The Salar Jung Museum Regulation, 1962, were published in the Gazette of India Part III, Section 4 under Government notification No. Nil dated 29-9-62 at pages 536 to 539 and were subsequently amended by the following notifications made in Gazette of India Part III, Section 4.

(1) dated 13-11-65
(2) dated 4-12-65
(3) dated 16-7-66
(4) dated 28-10-67
(5) dated 6-4-68
(6) dated 6-7-68
(7) dated 22-2-69
(8) dated 13-4-74
(9) dated 1-5-76
(10) dated 30-10-76
(11) dated 20-8-77
(12) dated 24-9-77
(13) dated 22-4-78
(14) dated 14-6-80
(15) dated 28-3-81
(16) dated 7-8-82.

No. II-8/85-153

RECRUITMENT RULES

Name of the Post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post.	Age limit	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotions.	Method of recruitment	Tha grades from which promotion is to be given.	Remarks
Head Book Binder.	Ministerial Class-III.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Non-Selection	Not applicable.	A Technician trained in Book Binding or a person having considerable practical experience of Book Binding, especially of old Manuscripts in a recognised Institution or Organisation, with minimum 7 years experience as Book Binder.	Yes	100% promotion.	From Book Binder	
Security Assistant	Class III Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Selection	45 Years	—	For promotion a Matriculate with five years service as Naik or any other employee not below the rnke of Naik who has undergone training in Home Guards equivalent to the rank of Sub Inspector of Police.	Promotion	Naik or any other employee not below the rank of Naik.	

Secretary
Salar Jung Museum Board
Hyderabad.

Shankar Dyal Sharma
Chairman
Salar Jung Museum Board
Hyderabad.

INDIAN AIRLINES

Disposal of Unclaimed Goods—Amendment to clause 4 of Indian Airlines Disposal of Unclaimed Goods Regulations, 1977

New Delhi-110001, the 26th August 1985

No. HQL-LGL|117.85.—In exercise of the powers conferred by Section 45 (2)(f) of the Air Corporation Act, 1953 (27 of 1953), Indian Airlines hereby makes the following regulation further to amend the existing clause 4 of the "Indian Airlines Disposal of unclaimed Goods Regulations, 1977" as published in the Gazette of India (No. 10) Part III-Section 4 dated Saturday, March 5, 1977.

(i) It shall come into force from the date of its issue in the Gazette of India

(ii) The existing clause 4 is hereby deleted; and

(iii) The amended clause 4 is hereby substituted as under :—

"4. Method of disposal of unclaimed goods :—

(i) Any unclaimed goods in the custody of the Corporation may, on the expiry of the period specified in Regulation 5 be sold by public auction and, after deducting from the sale proceeds of such goods the expenses on account of the sale and any amount which is due to the Corporation by way of freight, storage and other charges, the Corporation shall, on an established claim being made in writing by the owner of such goods or his legal representative, pay to him the surplus, if any, of the sale proceeds : Provided that

(a) The Corporation shall have the right to realise from the owner or his legal representative, any balance left outstanding against him on account of the freight and storage or other charges after such sale;

(b) The goods which are of a perishable nature or which are or may become dangerous or offensive may be disposed of or destroyed immediately without notice to the owner and in such manner as may be determined by the Officer duly authorised in this behalf;

(c) The consignments declared as document|printed matter, advertisement material, commercial| trade samples etc. for which the shipper has not declared any value and|or which do not have resale value or have very little re-sale value may be disposed of in part or in whole, without public auction and in any manner as may be convenient to the corporation.

(ii) The price at which the Corporation sells the consignment or part thereof, as declared and described in the provisos (b) and (c) of Regulation 4(i) above, shall be final and shall not be subject to verification, scrutiny, review of question by the owner of the goods, his legal representatives or any other party claiming under him.

Provided that

Any amount that is recovered and obtained by the Corporation in respect of and as a result of such disposal of consignments as has been provided under provisos (b) and (c) of Regulation 4(i) shall be adjusted against any expenses incurred by the Corporation and in the manner outlined in clause 4(i) of the Regulation read with proviso (a) thereto.

DAYA NARAIN
Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985